# न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
## अपील भरण पोषण संख्या 09/2023 (GCMS 2023/153)

1. **हरतेज कौर** पत्नी श्री दल सिंह पुत्री श्री हरगोविन्द सिंह जाति जटसिख आयु 85 वर्ष निवासी 7 के.आर.डब्ल्यू. ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
   — **अपीलांटस**

बनाम

1. **हरेन्द्र सिंह** पुत्र श्री दल सिंह जाति जटसिख निवासी 7 के.आर.डब्ल्यू. ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. **सुखमनजोत सिंह** दत्तक पुत्र श्री हरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 7 के.आर.डब्ल्यू. ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
   —**रेस्पोडेंटस**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**30.04.2025**

**पत्रावली पेश हुई।** अपीलार्थी हरतेज कौर एवं रेस्पोडेंट संख्या 01— हरेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। उपभयपक्ष को सुना गया। अप्रार्थी संख्या 02 का नाम इस कार्यालय के आदेश दिनांक 06.03.2024 द्वारा पूर्व में विलोपित किया जा चुका है।

**अपीलार्थी हरतेज कौर ने कथन किया कि** अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वृद्ध माता है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट का पुत्र है और रेस्पोडेन्ट संख्या 2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्राकृतिक पुत्र है और वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सं. 2. हरजीत सिंह का दत्तक पुत्र है। **अपीलांट का एक दूसरा पुत्र सुरेन्द्र सिंह भी हैं।** अपीलांट व अपीलांट के दोनों पुत्रों के पास चक 7 के.आर.डब्ल्यू. व 9 के.आर.डब्ल्यू. व चक 3 एस.डी.एस. में करीब 141 बीघा भूमि थी, इस भूमि में से अपीलांट स्वयं के नाम से भी भूमि थी, जो करीब तीसरे हिस्से के लगभग थी, अपीलांट के पुत्र व पौतों में भूमि विभाजन का विवाद उत्पन्न हुआ तो अपीलांट ने [illegible] व सहयोग से अपीलांट के नाम की भूमि को शामिल करते हुए [illegible] का विभाजन अपने [illegible] पुत्रों में करने का मानस अपीलांट के पुत्रों के [illegible] आश्वासन पर कि [illegible] बंटवारे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

भूमि पुत्रों को देने के बावजूद दोनो पुत्र अपीलांट के तीसरे हिस्से की भूमि अपीलांट को उसके जीवनकाल में दे देगें उससे अपीलांट अपना जीवन-निर्वाह कर सकेगी और उसकी पूरी आमदन उठाकर उससे अपने पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक कार्य कर सकेगी। अपीलांट ने अपने पुत्रों के इस आश्वासन पर अपने नाम की भूमि पुत्रों को बंटवारे में दे दी और अपीलांट के दोनो पुत्रो ने 47 बीघा भूमि में से 23½-23½ बीघा भूमि, अपीलांट को अपने जीवन पर्यन्त अपनी तमाम प्रकार की सामाजिक, धार्मिक एवं व्यक्तिगत उपयोग हेतु 47 बीघा भूमि दिनांक 01.03.2021 को दे दी थी और दिनांक 01.03.2021 को ही इस सम्बन्ध में अपीलांट व अपीलांट के दोनों पुत्रों के मध्य आपसी पारिवारिक समझौता का प्रलेख अपीलांट व अपीलांट के दोनों पुत्रों के मध्य गवाहान की उपस्थिति में नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवा दिया था, यह प्रलेख अपील के संलग्न है, ताकि अपीलांट उस 47 बीघा भूमि से पूर्ण आय प्राप्त कर सके।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** अधीनस्थ न्यायालय ने दिनाक 26.06.2023 से पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30.06.2023 को निर्धारित की थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट/प्रार्थी के आवेदन पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत किया और उसके बाद पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30.06.2023 को मुकरर्र कर दी गई। दिनाक 30.06.2023 को अपीलांट द्वारा प्रकरण में बहस न की जाकर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का जवाबुल जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा और अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली अपीलांट/प्रार्थी के जवाबुल जवाब पेश होने हेतु दिनांक 05.07.2023 की पेशी निर्धारित कर दी और दिनांक 30.06.2023 को प्रकरण में ... 

**उनका आगे यह भी कथन है कि** दिनांक 05-07-2023 को अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जवाबुल जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्रस्तुत करने व इसके साथ साक्ष्य के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर की मांग की थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के इस आवेदन पत्र पर कोई आदेश न देकर पत्रावली लम्बित रखी थी। रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 05.07.2023 को ही अधीनस्थ न्यायालय में मूल प्रकरण की नकल व दिनांक 05.07.2023 के तमाम आर्डर शीट की प्रमाणित प्रति प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था, अपीलांट के उक्त आवेदन पत्र पर अपीलांट को मूल आवेदन पत्र व दिनांक 30.06.2023 तक का फर्दकाम जिसमें आईन्दा तारीख पेशी 05.07.2023 निश्चित की हुई थी, की प्रमाणित प्रतिलिपियां अपीलांट को दिनांक 06.07.2023 को तैयार होने के बाद उपलब्ध करवा दी थी। दिनांक 05.07.2023 की तारीख पेशी का कोई फर्दकाम दिनांक 06.07.2023 का नहीं लिखा गया था। दिनांक 07.07.2023 को अपीलांट प्रकरण में दिनांक 05.07.2023 को प्रकरण में आईन्दा निर्धारित तारीख पेशी की जानकारी लेने गई तो अपीलांट को मालूम हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पीछे की तारीख पेशी में दिनांक 05.07.2023 को अपना निर्णय लिखाया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का निर्णय खुले न्यायालय में सुने जाने का फर्दकाम दिनांक 05.07.2023 में अंकन कर रखा हैं इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण में बहस सुने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** अपीलांट विधवा औरतजात है और वरिष्ठ नागरिक हैं। अपीलांट ने अपनी भूमि, भूमि विभाजन में रेस्पोडेन्ट व दूसरे पुत्र को उपरोक्त वर्णित आश्वासन पर दे दी थी। रेस्पोडेन्ट अपीलांट को न तो भूमि काश्त करने दे रहा है और न ही भूमि की ठेका राशि अपीलांट को दे रहा है। न्यायहित में अपीलांट को [illegible] 3 एस.डी.एस. के मुरब्बा नं 27 के किला नं. 1 ता 25 की [illegible] प्रतिवर्ष की प्रचलित ठेका राशि 20,000/— रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से एकमुश्त भरण—पोषण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

राशि के रूप में दिलाया जावें, रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा न किये जाने की स्थिति में उक्त कृषि भूमि को कुर्क कर, इस पर रिसीवर कायम किया जाकर भरण पोषण राशि अपीलांट को दिलावायी जावें।

**इसके विपरित रेस्पोडेंट संख्या 1— हरेन्द्र सिंह** ने कथन किया कि यह अपील प्रार्थीया हरतेज कौर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर एवं भरण पोषण अधिकरण, सादुलशहर के आदेश दिनांक 05.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया का आवेदन पत्र भरण पोषण दिलाये जाने हेतु निरस्त किया है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** प्रार्थीया हरतेज कौर के नाम से 42 बीघा कृषि भूमि थी जो हरतेज कौर के द्वारा न्यायालय की डिक्री से अपने दूसरे पुत्र सुरेन्द्र सिंह को दे दी जिसके खिलाफ भरणपोषण अधिनियम के तहत न तो मुकदमा किया है एव ना ही इस मुकदमा में उसे पक्षकार बनाया है एवं ना ही उससे भरणपोषण की मांग की है जिसके सम्बन्ध में वस्तुःस्थिती यह है कि हरतेज कौर ने अपनी सारी भूमि, अपने आवासीय मकान सुरेन्द्र सिंह को दे दिये है एवं उसी के साथ निवास कर रही है एवं 22 बीघा भूमि का हिस्सा ठेका प्राप्त कर अच्छी प्रकार से अपना जीवनयापन कर रही है उक्त तथ्यों को प्रार्थीया ने छुपाया है एवं अधीनस्थ न्यायालय को उक्त तथ्य आने पर सही तौर पर आवेदन पत्र निरस्त किया है अतः अपील भी निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**उनका आगे यह भी कथन कि** प्रार्थीया हरतेज कौर के पुत्र सुरेन्द्र सिंह, जिसके साथ हरतेज कौर निवास कर रही है, के पास 70.10 बीघा कृषि भूमि है, जबकि प्रार्थी के पास महज 36.10 बीघा भूमि है जो उसे हरतेज कौर से प्राप्त नहीं हुई है, वरन् हरजीत सिंह से प्राप्त हुई है चूंकि हरतेज कौर से कोई कृषि भूमि अथवा अन्य सम्पत्ति प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई है वरन् प्रार्थीया के द्वारा अपनी तमाम कृषि भूमि एवं आवासीय मकान सुरेन्द्र सिंह को दिये है जिसके साथ वे निवास कर रही है एवं 22 बीघा भूमि का ठेका प्राप्त कर रही है, इसलिए महज सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती थी, प्रार्थी के खिलाफ नहीं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** प्रार्थी हरेन्द्र सिंह एवं सुरेन्द्र सिंह के मध्य भूमि को लेकर विवाद चल रहे है एवं हरतेज कौर प्रार्थीया सुरेन्द्र सिंह के पास निवास करती है एवं अपनी समस्त सम्पत्ति उसे दे चुकी है, इसलिए मुझ प्रार्थी पर अनुचित दबाव देने के आशय से उक्त आवेदन पत्र एवं अपील प्रस्तुत की गई है, जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है।

**मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया** कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 21, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण में निवेदन किया था कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने चक 3 एसडीएस के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1 ता 25 की न्यूनतम 20,000/— रूपये प्रतिबीघा प्रतिवर्ष की प्रचलित ठेका राशि की दर से कुल 5,00,000/— [illegible] एक मुश्त अथवा मासिक दर से इसी अनुसार भरण पोषण राशि की [illegible] कर अदायगी करवाई जावे। अप्रार्थीगण के द्वारा ऐसा न किये जाने की स्थिति में उक्त कृषि भूमि को कुर्क कर इस पर रिसीवर कायम फरमाया जावे व रिसीवर के द्वारा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

भूमि को जरिये बोली काश्त करवाई जाकर प्राप्त राशि का नियमित भुगतान करवाने की प्रार्थना की थी, जिस पर **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 05.07.2023 को निर्णय पारित निम्नानुसार आदेश दिया गया :**

> मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रकरण से सम्बन्धित विधि के परिशीलन, तथ्यों के विवेचन के प्रकाश में यह आया है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 10 में प्रार्थीया द्वारा 22 बीघा भूमि का ठेका प्राप्त किया जाना स्वीकार किया गया है, व मद संख्या 3 में बोलेरो कैम्पर नं. पीबी 22 के 2022 व सोना के जेवरात होना भी स्वीकृत तथ्य है। धारा 9(2) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अनुसार 10,000/— रूपये अधिकतम दिलवाये जाने का प्रावधान है, जबकि प्रार्थीया के पास 22 बीघा कृषि की ठेका राशि प्राप्त होना वह स्वयं स्वीकार कर रही है, 20,000/— रूपये प्रति बीघा ठेका राशि के अनुसार प्रतिवर्ष 4,40,000/— रूपये अर्थात 36,000/— रूपये मासिक आय होना साबित है, इस प्रकार प्रार्थीया उक्त रूपयों से अपना भरण पोषण करने मे सक्षम है।

**उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** के उक्त निर्णय दिनांक 05.07.2023 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

**माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से** अवलोकनीय है:

> **2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अवयस्क सम्मिलित नहीं है।**
>
> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**जहां तक विवादित भूमि जिसका ठेका** अपीलार्थी ने रेस्पोडेंट संख्या 01 से दिलवाने की प्रार्थना की है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति का अन्तरण भरण पोषण की शर्त के अधीन किया जाता है तो भरण पोषण न करने की सूरत में ऐसा अन्तरण शून्य हो सकता है। जिसके सम्बन्ध में **माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) निम्नानुसार अवलोकनीय है :**

> **23. कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा : (1) जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक ने, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहाँ सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।**

**विचाराधीन प्रकरण में विवादित** भूमि किसी प्रकार की शर्त के अधीन अन्तरण होना प्रतीत नहीं होता है और न ही अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 13.12.2021 का अपीलार्थी हरतेज कौर द्वारा किये गये घरूबंटवारा की फोटो प्रति शाामिल है, जिसमें अपीलार्थी हरतेज कौर द्वारा अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को अपने एवं अन्य के बीच बंटवारा किया गया है। उक्त घरूबंटवारा में अपीलार्थी हरतेज कौर द्वारा सम्पत्ति का अन्तरण किसी शर्त के अधीन नहीं किया गया है। इसलिए अप्रार्थी के नाम से भूमि के अन्तरण को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि** क्या अपीलार्थीगण भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 01 – हरेन्द्र सिंह को भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

**4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–**

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगा:

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:07 IST
Reason: Self Attested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार** माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। किन्तु **अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2023 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की है, बल्कि 23 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 से अपीलांट को दिलाये जाने की प्रार्थना की है।** अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में भी कृषि भूमि का ठेका राशि प्राप्त करना स्वीकार किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इसके दस्तावेज भी उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 13.04.2023 से 13.04.2024 तक यानि एक साल का कुल राशि 7,90,000/– का ठेकानामा के दस्तावेज भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार अपीलार्थी प्रतिवर्ष 7,90,000/– राशि प्राप्त कर रही है। इसलिए **अपीलार्थी, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। फिर भी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए रेस्पोडेंट का अपीलार्थी के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थी, प्रार्थीगण के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।**

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:07 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर